लखनऊ विकास प्राधिकरण की 133 वीं बैठक

13 अक्टूबर, 2008

में विचारणीय विषयों की

कार्य-सूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 13 अक्टूबर, 2008 में

विचारणीय विषयों की कार्य–सूची

विषय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06,सितम्बर, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1–11
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06,सितम्बर, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	12–21
3.	गोमती नगर योजना में गोमती नदी के बायें तटबन्ध पर गॉधी सेतु से दक्षिण की ओर लगभग 750 मीटर की दूरी पर निर्मित ''पुलिस/बाढ़ सुरक्षा चौकी'' की 900 वर्ग मी0 भूमि के भू–उपयोग को '' 30 मी0 चौड़े मार्ग'' से ''सामुदायिक सुविधाऍ,उपयोगिताऍ एवं सेवाओं'' तथा तत्पश्चात् उक्त चौकी से लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन तक लगभग 950 मी0 दूरी में निर्मित तटबन्ध के भू–उपयोग को ''30 मी0 चौड़े मार्ग'' से '' बन्धा/हरित पट्टी'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना ।	22–25
4.	प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर ''एल'' में लगभग 101 एकड़ के क्षेत्रीय पार्क के लगभग 21 एकड़ क्षेत्र को ''स्मृति उपवन'' के रुप में तथा अवशेष क्षेत्र को ''मान्यवर कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल'' के रुप में विकसित करने के सम्बन्ध में ।	26–28
5.	गोमती नगर में गॉधी सेतु से लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन तक नदी के बायें तट बन्ध पर निर्मित बन्धे का प्रयोग सड़क के रुप करने, बन्धे पर निर्मित चौकी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने तथा भागीदारी भवन के दोनो ओर के क्षेत्र, जिसका भू–उपयोग महायोजना 2021 में खुला क्षेत्र एवं हरित पट्टी है, के प्रयोग के प्रकरण पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में ।	29–32
6.	रमाबाई अम्बेडकर मैदान का प्रयोग केवल जनसभाओं एवं राजनैतिक पार्टियों की रैली के लिये ही अनुमन्य करने एवं इस हेतु प्रतिदिन रु0 50.000/– का शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।	33
7.	हरदोई रोड स्थित बसन्त कुन्ज योजना के सेक्टर ''ए'' की 9.00 हेक्टेअर भूमि का भू–उपयोग ''व्यवसायिक'' से ''आवासीय'' तथा सेक्टर ''आई'' की 9.00 हेक्टेअर भूमि का भू– उपयोग '' आवासीय'' से ''व्यवसायिक'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	34–36

विषय संख्याः 01 पृष्ठ संख्याः 01

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 06 सितम्बर, 2008 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री चन्द्रभानु जिलाधिकारी, लखनऊ	प्रभारी आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं प्रभारी अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी संयुक्त सचिव आवास	प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	प्रभारी वास्तुकला अनुभाग, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6.	श्री आर0एन0 पाल (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	इं0 राजेन्द्र सिंह	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8.	श्रीमती प्रभावती सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
9.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री डी0के0 वर्मा (प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन)	संयुक्त निदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
11.	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री राम कृष्ण यादव	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

13.	श्री मणि प्रसाद मिश्र	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
14.	श्री बी0राम शास्त्री	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
15.	श्री अवधेश कुमार	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री आर0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री एस0बी0 मिश्रा	संयुक्त निदेशक (भूमि एवं वि0), ल0वि0प्रा0।
18.	श्री रवि जैन	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

प्रभारी अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : अनुपालन नोट किया गया।

विषय संख्या : 3 मा0 मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के दृष्टिगत हैलीपैड के निर्माण हेतु कोठी मार्टिन साहब खसरा संख्या–258 मौजा रमना दिलकुशा स्टेशन गनेशगंज की गाटा संख्या–11 की भूमि अधिग्रहण किये जाने की योजना।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 4 लालबहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना एवं गोमती नगर विस्तार योजना तथा हरदोई रोड योजना के बसंत कुंज आवासीय योजना एवं प्रबंध नगर आवासीय योजना की बाढ़ से सुरक्षा हेतु गोमती नदी के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में बन्धों के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। यह बन्धे लखनऊ महानगर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु प्रस्तावित है, अतः जनहित में बन्धों के निर्माण का प्रस्ताव एवं धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। इसके अतिरिक्त कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत किला मुहम्मदी ड्रेन का चौड़ीकरण करके प्रस्तावित नाले के निर्माण के सम्बन्ध में परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही करने तथा बोर्ड की आगामी बैठक में कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

विषय संख्या : 6 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने के लिए अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपालों को संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : 7 हरदोई रोड आवासीय योजना (बसन्त कुंज) के अन्तर्गत ग्राम बरीकलाँ एवं बरावन खुर्द की 117.80 एकड़ नजूल भूमि के विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रकरण में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि से प्रभावित कृषकों को भूमि के प्रतिकर के स्थान पर प्राधिकरण की आवासीय योजना के कियान्वयन के हित में अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) देने के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त किया जाये तथा यदि विधिक परामर्श इस प्रस्ताव के अनुरूप पाया जाए तो प्रस्ताव के अनुसार अग्रतर कार्यवाही की जाए।

विषय संख्या : 8 सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु/सैनिटरी लैण्डफिल साइट हेतु भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 9 श्री गम्भीर सिंह खनका भारत–पाक युद्ध 1971 के विकलांग सैनिक की भूमि ग्राम मकदूमपुर स्थित खसरा संख्या–219 रकबा 0–1–12–2बीघा भूमि के बदले गोमती नगर विस्तार योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण में इस संबंध में स्पष्ट नीति न होने के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट नीति तैयार करा ली जाए, तदुपरान्त निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में लागू दरों में भी विसंगतियां होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में प्रचलित प्रक्रिया का अध्ययन कराकर आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 11 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित व्यावसायिक/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी की शर्तों में संशोधन किया जाना।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नीलामी के पूर्व बोलीदाता से अन्य औपचारिकताओं का पालन कराने के साथ–साथ–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो विगत छः माह के अन्दर निर्गत हो, संलग्न कराया जाये।

2. बोलीदाता से विगत 3 वर्षों का आय कर रिटर्न विवरण टेण्डर फार्म के साथ संलग्न कराना अनिवार्य किया जाये।

विषय संख्या : 12 श्रीमती कल्याणी शर्मा, पत्नी, शहीद ले0 कर्नल एम0सी0 शर्मा को पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड को शासनादेश के अनुपालन में रियायती दरों पर दिये जाने के बाद ही धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा लीज, फ्री–होल्ड एवं ब्याज मुक्त करने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये। स्टाम्प आदि की धनराशि से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये।

विषय संख्या : 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड (नेहरू इन्क्लेव) के भूखण्डों की योजना समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली देनदारियों का विस्तृत आंकलन करा लिया जाये, तत्पश्चात् परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 14 अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित निर्माणों के एवज में प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड देने तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन तैयार कराकर निर्माण का प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कट–आफ–डेट 12.10.00 से पूर्व के 159 प्रकरणों के सापेक्ष 39 व्यक्तियों एवं इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कुल

172 अर्थात कुल 211 व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्गमीटर का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा उनके निर्माण का मूल्यांकन तैयार कराकर अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) के माध्यम से निर्माणों का नियमानुसार प्रतिकर भुगतान कराने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 15 कानपुर रोड योजना में बिना आवंटन पत्र निर्गत किये भवन/भूखण्ड का परिवर्तन, अनुबंध/निबन्धन/कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ई0डब्लू0एस0 आवासों के वर्तमान अध्यासियों के बारे में एक समिति (संयुक्त सचिव, सम्पत्ति अधिकारी, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता) का गठन कर केस--टू--केस परीक्षण कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 16 मुथमिज संगम (तमिल समाज) को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर योजना के अन्तर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट हेतु आडीटोरियम निर्माण के लिए आबंटित भूमि के स्थान पर गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में समायोजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में आरक्षित भूखण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि एवं आबंटन किये जाने वाले भूखण्ड की लागत आदि का सम्पूर्ण विवरण आंकलित कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 17 विकास प्राधिकरण के स्वामित्व/प्रबंध में संचालित सामुदायिक केन्द्र एवं खुले क्षेत्र के आवंटन शुल्क में वृद्धि एवं नियम/शर्तों में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इनके अनुरक्षण आदि पर होने वाले व्यय का भी परीक्षण करा लिया जाये एवं इन

सामुदायिक केन्द्रों का अनुरक्षण निजी क्षेत्र के माध्यम से (आउट सोर्स) कराने के लिए वांछित कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 18 उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 (गंगोत्री) द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की बिकी हेतु प्रदर्शन कक्ष की स्थापना हेतु व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 19 प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में "इनफार्मल मार्केट" के अन्तर्गत फल/सब्जी की दुकानों हेतु चबूतरा एवं शेड का निर्माण करके गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को उनका आवंटन करने एवं ऐसे चबूतरें/शेड की लागत का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सहमति प्रदान की गयी एवं यह भी निर्णय लिया गया कि केवल पात्र व्यक्तियों में आबंटन हेतु एक स्पष्ट नीति बना ली जाये एवं जहां पर ऐसे इनफार्मल मार्केट विकसित किये जाये, वहां पर समुचित रूप से पार्किंग, शौचालय, कूड़ा घर आदि की व्यवस्था की जाये।

विषय संख्या : 20 कानपुर रोड योजना स्थित सेक्टर–बी (बाराबिरवा) के फल एवं सब्जी आदि विक्रेताओं के सम्बन्ध में चबूतरों के आवंटन का प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 21 रिट याचिका संख्या–1228(एम0बी0)/2008 सैय्यद नैय्यर अब्बास बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय पारित आदेश दिनांक 04.08.2000 के क्रम में भवन संख्या–108 (पुराना भवन संख्या–70) जगत नारायण रोड के भू–उपयोग

को "हरित पट्टी" से "आवासीय" में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्त प्रदेश द्वारा प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया जाये एवं यदि प्रश्नगत परिवर्तन पूर्व की किसी ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण हुआ हो तो उसका निराकरण कराया जाये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन निहित होने की स्थिति में शासन को अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति प्रेषित की जाये। महायोजना 2021 में हुई समस्त त्रुटियों का परीक्षण कराते हुए उत्तरदायीं अधिकारियों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

विषय संख्या : 22 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा की कुल 7.50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिता एवं सेवाएं' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

विषय संख्या : 23 गोमती नगर योजना में नदी के बायें तटबन्ध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बन्धा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क

तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की बीच की सड़क के आंशिक भाग (क्षेत्रफल क्रमशः 2565 वर्गमीटर व 5220 वर्गमीटर) का भू–उपयोग "यातायात एवं परिवहन वर्तमान सड़क" से मनोरंजात्मक पार्क एवं खुला स्थल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

विषय संख्या : 24 मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

विषय संख्या : 25 हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में "यातायात परिवहन, बस अड्डा" भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के

अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

अनु0वि0सं0 : 1 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकृत एवं लाइसेन्स हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर शासनादेश संख्या 5873/आठ–1–05/34विविध/03टीसी–1लखनऊ दिनांक 12.01.06 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

निर्णय : इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत दो विकासकर्ताओं मे0 ईमार–एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0 लि0 व मे0 एल्डिको प्रा0लि0 के लाइसेंस हेतु एवं अन्य दो विकासकर्ताओ मेसर्स ओमेक्स प्रा0लि0 एवं मे0 शिप्रा इस्टेट लि0 के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इन्टीग्रेटेड टानशिप नीति में किये गये संशोधन से सम्बन्धित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1859/आठ–1–07–33विविध/2008 दिनांक 27.08.08 के कम में अग्रिम निर्णय हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए।

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(चन्द्र भानु)
प्रभारी–आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
प्रभारी अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 06 सितम्बर, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्याः 01 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लिया गया निर्णयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्याः 02 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर,, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

लिया गया निर्णयः अनुपालन नोट किया गया ।

विषय संख्याः 03 मा0 मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के दृष्टिगत हैलीपैड के निर्माण हेतु कोठी मार्टिन साहब खसरा सं0 258 मौजा रमना दिलकुशा स्टेशन गनेशगंज की गाटा संख्या–11 की भूमि अधिग्रहण किये जाने की योजना ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः विषय स्थगित होने के फलस्वरुप अग्रिम कार्यवाही वॉछित नहीं है।

विषय संख्याः 04 लालबहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी ।

अनुपालनः शासन द्वारा धारा–4 / 17 की अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। धारा–6 / 17 की अधिसूचना प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्याः 05 लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना एवं गोमती नगर विस्तार योजना तथा हरदोई रोड योजना के बसन्त कुंज आवासीययोजना एवं प्रबन्ध नगर आवासीय योजना की बाढ़ से सुरक्षा हेतु गोमती नदी के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में बन्धे के निर्माण के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी । यह बन्धे लखनऊ महानगर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु प्रस्तावित है, अतः जनहित में बन्धों के निर्माण का प्रस्ताव एवं धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। इसके अतिरिक्त कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत किला मोहम्मदी ड्रेन का चौड़ीकरण करके प्रस्तावित नाले के निर्माण के सम्बन्ध में परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही करने तथा बोर्ड की आगामी बैठक में कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा बन्धे के एलाइन्मेन्ट को अन्तिम रुप देने की कार्यवाही की जा रही है। सिंचाई विभाग का आगणन प्राप्त होने पर शासन को बंधे के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा ।

विषय संख्याः 06 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने के लिए अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपालों को संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णय : चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्याः 07 हरदोई रोड आवासीय योजना (बसन्त कुंज)के अन्तर्गत ग्राम बरीकलां एवं बरावनखुर्द की 117.80 एकड़ नजूल भूमि के विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रकरण में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि से प्रभावित कृषकों को भूमि के प्रतिकर के स्थान पर प्राधिकरण की आवासीय योजना के कियान्वयन के हित में अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) देने के सम्बन्ध में विधिक परामर्श प्राप्त किया जाये तथा यदि विधिक परामर्श

इस प्रस्ताव के अनुरुप पाया जाये तो प्रस्ताव के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाए ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार प्रकरण में विधिक परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक परीक्षणोंपरान्त अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

विषय संख्याः 08 सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत लैण्ड फिल साइट हेतु भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है ।

विषय संख्याः 09 श्री गम्भीर सिंह खनका भारत पाक युद्ध 1971 के विकलांग सैनिक की भूमि ग्राम मकदूमपुर स्थित खसरा संख्या–219 रकबा 0–1–12–2 बीघा भूमि के बदले गोमती नगर विस्तार योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आबंटित करने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णय : प्राधिकरण में इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति न होने के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट नीति तैयार करा ली जाए, तदुपरान्त निर्णयार्थ आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाए ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार नीति तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्याः10 लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में लागू दरों में भी विसंगतियां होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में प्रचलित प्रक्रिया का अध्ययन कराकर आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

अनुपालनः निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्या:11 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में व्यवसायिक/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी की शर्तो में संशोधन किया जाना ।

लिया गया निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नीलामी के पूर्व बोलीदाता से अन्य औपचारिकताओं का पालन कराने के साथ–साथ –

1– सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र जो विगत छः माह के अन्दर निर्गत हो, संलग्न कराया जाये ।

2– बोलीदाता से विगत 3 वर्षो का आय कर रिटर्न विवरण टेण्डर फार्म के साथ संलग्न कराना अनिवार्य किया जाये ।

अनुपालन: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी सभी नीलामी कार्यक्रमों में आवेदक/फर्म से सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र जो विगत छः माह के अन्दर निर्गत हो एवं बोलीदाता से विगत तीन वर्षो का रिटर्न विवरण टेण्डर फार्मो के साथ संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।

विषय संख्या:12 श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी शहीद ले0 कर्नल एम0सी0 शर्मा को पेट्रोल पम्प हेतु आबंटित भूखण्ड को शासनादेश के अनुपालन में रियायती दरों पर दिये जाने के बाद ही धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध मे।

लिया गया निर्णय: निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा लीज, फ्री–होल्ड एवं ब्याज मुक्त करने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये । स्टाम्प आदि की धनराशि से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये ।

अनुपालन: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या: 4908/आठ–1–08–290 एलडीए/2004 दिनांक 27.08.2008 को अंगीकृत कर लिया गया तथा उसी के अनुसार श्रीमती कल्याणी शर्मा को लीज, फ्री–होल्ड एवं ब्याज मुक्त करने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की गयी एवं स्टाम्प आदि की धनराशि से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या: 3608/पी0ओ0/वी0सी0/08, दिनांक 23.09.2008 को एवं श्रीमती कल्याणी शर्मा को भी सूचना प्रेषित कर दी गई है।

विषय संख्याः13 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड (नेहरुइन्क्लेव)के भूखण्डों की योजना समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यवाही के फलस्वरुप उत्पन्न होने वाली देनदारियों का विस्तृत आंकलन करा लिया जाये, तत्पश्चात् परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

अनुपालनः निर्णयानुसार प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कराकर प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय संख्याः14 अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित निर्माणों के एवज में प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड देने तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन तैयार कराकर निर्माण प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध मे ।

लिया गया निर्णयः प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कट–आफ–डेट 12.10.00 से पूर्व के 1.59प प्रकरणों के साक्षेप 39 व्यक्तियों एवं इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनो के सापेक्ष कुल 172 अर्थात कुल 211 व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मी0 का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा उनके निर्माण का मूल्यांकन तैयार कराकर अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) के माध्यम से निर्माणों का नियमानुसार प्रतिकर भुगतान कराने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्याः15 कानपुर रोड योजना में बिंना आबंटन पत्र निर्गत किये भवन/भूखण्ड का परिवर्तन, अनुबन्ध/निबन्धन/कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ई0डबलू0एस0 आवासों के वर्तमान अध्यासियों के बारे में एक समिति(संयुक्त सचिव, सम्पत्ति अधिकारी, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता) का गठन कर केस–टू–केस परीक्षण कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

अनुपालनः निर्णयानुसार गठित समिति द्वारा प्रथम चरण में सेक्टर"डी" के दोमंजिले भवनों का सर्वे किया गया स्थिति निम्नवत् हैः–

1– कानपुर रोड योजना के विभिन्न सेक्टरों में अब तक संज्ञान में आए भवनों की संख्या(जिनमें आवंटन पत्र जारी नहीं है) 653

2– सेक्टर ''डी'' के डी/एस प्रकार के जिन भवनों में आवंटन पत्र जारी नही हुआ है की संख्या
369

3– स्थल पर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आवंटित एवं रह रहे मूल आवंटियों की संख्या
153

4– मूल आवंटी से प्राप्त पावर आफ अटार्नी के आधार पर निवासित व्यक्तियों/भवनों की संख्या–
58

5– सर्वे के समय जिन भवनों मे ताला बन्द पाया गया की संख्या–158

इस प्रकार अभियान चलाकर प्रथम चरण में डी/एस टाइप के सेक्टर ''डी'' के भवनों में निवास कर रहे अध्यासियों/निवासियों के फोटोग्राफ खींचे गये जिनकी संख्या–211 है। जिनमें 153 मूल आवंटी है तथा 58 पावर आफ अटार्नी धारक हैं। अब तक सर्वे में मौके पर निवास करते हुए पाये गये मूल आवंटियों के पक्ष में निबन्धन की कार्यवाही प्रारम्भ करना उचित होगा ।

विषय संख्याः16 मुथमिज संगम (तमिल समाज) को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर योजना के अन्तर्गत कम्युनिटी डेवलपमेन्ट हेतु आडीटोरियम निर्माण के लिए आबंटित भूमि के स्थान पर गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में समायोजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में आरक्षित भूखण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि एवं आवंटन किये जाने वाले भूखण्ड की लागत आदि का सम्पूर्ण विवरण आंकलित कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

अनुपालनः पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव वॉछित सूचनाओं सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय संख्याः17 विकास प्राधिकरण के स्वामित्व/प्रबन्ध में संचालित सामुदायिक केन्द्र एवं खुले क्षेत्र के आबंटन शुल्क में वृद्धि एवं नियम/शर्तो में संशोधन के सम्बन्ध मे ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इनके अनुरक्षण आदि पर होने वाले व्यय का भी परीक्षण करा लिया जाये एवं इन सामुदायिक केन्द्रों का अनुरक्षण निजी क्षेत्र के माध्यम से (आउट सोर्स) कराने के लिए वॉछित कार्यवाही की जाये ।

अनुपालनः बोर्ड के निर्देशानुसार इन सामुदायिक केन्द्र एवं खुले क्षेत्र हेतु बढ़ाई गयी दरें लागू कर दी गयी हैं। वर्तमान में इन्हीं बढ़ी दरों के अनुसार

आरक्षण किया जा रहा है, तथा अनुरक्षण व्ययों का परीक्षण करके निजी क्षेत्र के माध्यम से (आउट सोर्स) अनुरक्षण कराने हेतु मुख्य अभियन्ता को संदर्भित कर दिया गया है जिनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ।

विषय संख्या:18 उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 (गंगोत्री) द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु प्रदर्शन कक्ष की स्थापना हेतु व्यवसायिक भूखण्ड आबंटित करने के सम्बन्ध मे ।

लिया गया निर्णयः चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

अनुपालनः अनुपालन पूर्ण किया गया ।

विषय संख्या:19 प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में "इनफार्मल मार्केट" के अन्तर्गत फल/सब्जी की दुकानों हेतु चबूतरा एवं शेड का निर्माण करके गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को उनका आबंटन करने एवं ऐसे चबूतरे/शेड की लागत का निर्धारण करने के सम्बन्ध मे ।

लिया गया निर्णयः प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सहमति प्रदान की गयी एवं यह भी निर्णय लिया गया कि केवल पात्र व्यक्तियों में आवंटन हेतु एक स्पष्ट नीति बना ली जाये एवं जहॉ पर ऐसे इनफार्मल मार्केट विकसित किये जाये, वहॉ पर समुचित रुप से पार्किग, शौचालय, कूड़ाघर आदि की व्यवस्था की जाये ।

अनुपालनः निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्या:20 कानपुर रोड योजना स्थित सेक्टर 'बी'(बाराबिरवा) के फल एवं सब्जी आदि विक्रेताओं के सम्बन्ध में चबूतरों के आबंटन का प्रस्ताव।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अनुपालनः अनुपालन अप्राप्त ।

विषय संख्या:21 रिट याचिका सं0–1228(एम0बी0)/2008 सैय्यद नैय्यर अब्बास बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2000 के कम में भवन सं0–108 (पुराना भवन सं0–70)

जगत नारायण रोड के भू– उपयोग को ''हरित पट्टी'' से ''आवासीय'' में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश व्दारा प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया जाये एवं यदि प्रश्नगत परिवर्तन पूर्व की किसी ड्राफि्टंग त्रुटि के कारण हुआ हो तो उसका निराकरण कराया जाये अन्यथा उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति प्रेषित की जाये। महायोजना 2021 में हुई समस्त त्रुटियों का परीक्ष्रण कराते हुए उत्तरदायी अधिकारियों को चिन्हित करके उनके विरुध्द कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

अनुपालनः प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पत्र संख्याः 819 / सचिव / 2008–09 के माध्यम से प्रस्ताव परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

विषय संख्या:22 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम– औरंगाबाद खालसा की कुल 7.50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधायें, उपयोगिताएवं सेवायें' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

अनुपालनः प्रकरण में भू–उपयोग की अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्याः 802 / वी0सी0 / टी0पी0 / 2008, दिनांक 09.09. 2008 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा पत्रांकः 4916 / 8–3–2008–51 एल0यू0सी0 / 2008, दिनांक 12.09.2008 द्वारा अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

विषय संख्या:23 गोमती नगर योजना में नदी के बायें तटबन्ध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बन्धा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा0

भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क के ऑशिक भाग क्षेत्रफल कमशः 2565 वर्ग मीटर व 5220 वर्ग मीटर है, का भू–उपयोग "यातायात एवं परिवहन वर्तमान सड़क" से मनोरंजात्मक पार्क एवं खुला स्थल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

अनुपालनः प्रकरण में भू–उपयोग को अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्याः 801 / वी0सी0 / टी0पी0 / 2008, दिनांक 09.09. 2008 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा पत्रांकः 4913 / 8–3–2008–54 एल0यू0सी0 / 2008, दिनांक 12.09.2008 द्वारा अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

विषय संख्याः24 मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधायें, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

अनुपालनः प्रकरण में भू–उपयोग को अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्याः 800 / वी0सी0 / टी0पी0 / 2008, दिनांक 09.09. 2008 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा पत्रांकः 4915 / 8–3–2008–55 एल0यू0सी0 / 2008, दिनांक 12.09.2008 द्वारा अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

विषय संख्याः25 हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में "यातायात परिवहन, बस अड्डा" भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे ।

लिया गया निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। भू–उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

अनुपालनः प्रकरण में भू–उपयोग को अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्याः 799/वी0सी0/टी0पी0/2008, दिनांक 09.09.2008 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा पत्रांकः 4914/8–3–2008–53 एल0यू0सी0/2008, दिनांक 12.09.2008 द्वारा अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

अनु0वि0सं0:1 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकृत एवं लाइसेन्स हेतु प्रस्तुत किये प्रस्तावों पर शासनादेश संख्याः 5873/आठ–1–05/34 विचिध/03टीसी–1 लखनऊ, दिनांक 12.01.06 द्वारा उपाध्यक्ष,, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर विचार ।

लिया गया निर्णयः इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत दो विकासकर्ताओं मैं0 ईमार–एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0 लि0 व मे0 एन्डिको प्रा0लि0 के लाइसेन्स हेतु एवं अन्य दो विकासकर्ताओं मेसर्स ओमेक्स प्रा0लि0 एवं मे0 शिप्रा इस्टेट लि0 के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति में किये गये संशोधन से सम्बन्धित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्याः 1859/आठ–1–07–33विविध/2008, दिनांकः 27.08.08 के क्रम में अग्रिम निर्णय हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाये ।

अनुपालनः लिए गये निर्णय के क्रम मे़ं प्रकरण शासन को संदर्भित किया जा चुका है।

विषय संख्याः 03 पृष्ठ संख्याः 22

गोमती नगर योजना में गोमती नदी के बाँयें तटबन्ध पर गाँधी सेतु से दक्षिण की ओर लगभग 750 मीटर की दूरी पर निर्मित ''पुलिस/बाढ़ सुरक्षा चौकी'' की 900.00 वर्गमीटर भूमि के भू-उपयोग को ''30 मीटर चौड़े मार्ग से ''सामुदायिक सुविधाएं उपयोगिताए एवं सेवाओं'' तथा तत्पश्चात उक्त चौकी से लखनऊ-बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन तक लगभग 950 मीटर दूरी में निर्मित तटबन्ध के भू-उपयोग को ''30 मीटर चौड़े मार्ग'' से ''बन्धा/हरित पट्टी'' में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में विचार।

1. गोमती नगर योजना में गोमती नदी के बाँये तटबन्ध पर गाँधी सेतु से दक्षिण दिशा में लगभग 750 मीटर की दूरी पर 900 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक ''पुलिस/बाढ़ सुरक्षा चौकी'' का निर्माण कराया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ वर्षा के समय बाढ़ सुरक्षा के विविध कार्यो का अनुश्रवण किया जाना है। लखनऊ महायोजना-2021 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग ''30.00 मी0 चौड़ा मार्ग'' है। सुरक्षा चौकी से सम्बन्धित लोकेशन मानचित्र अनुलग्नक '1' पर संलग्न है।
2. उपर्युक्त ''पुलिस/बाढ़ सुरक्षा चौकी'' के आगे दक्षिण दिशा के पश्चात लखनऊ-बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन तक लगभग 950 मीटर दूरी में निर्मित तटबन्ध का उपयोग वर्तमान में बाढ़ सुरक्षा के अतिरिक्त लगभग नगण्य है तथा यह लखनऊ-बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन पर जाकर समाप्त हो जाता है। वर्तमान में यह मार्ग सार्वजनिक यातायात हेतु प्रयोग में नहीं लाया जाता है। लखनऊ महायोजना-2021 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग ''30.00 मी0 चौड़ा मार्ग'' है। उक्त के आगे यद्यपि लखनऊ महायोजना-2021 में अमर शहीद पथ तक 45.00 मी0 चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है किन्तु वह स्थल पर निर्मित नहीं है, प्रस्तुत स्थल

मुख्य नगर नियोजक

पर वर्तमान में केवल आंशिक भाग में बन्धा निर्मित है तथा शेष भाग में भूमि के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण बन्धे का निर्माण अभी नहीं हो पाया है, अतः उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुये गोमती नगर विस्तार योजना हेतु गाँधी सेतु से वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्राधिकरण द्वारा सहारा शहर के पूर्वी किनारे पर महायोजना में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े मार्ग पर रेलवे उपरिगामी सेतु/रेलवे क्रासिंग प्रस्तावित करते हुये इस मार्ग को सार्वजनिक उपयोग हेतु खोलने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था का प्रस्तावित मानचित्र अनुलग्नक '2' पर संलग्न है।

प्रस्तावः-

अतः उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक जनहित में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

(क) बिन्दु संख्या-1 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गोमती नदी के बाँये तटबन्ध पर गाँधी सेतु से दक्षिण दिशा में लगभग 750 मीटर दूरी पर 900 वर्गमीटर क्षेत्रफल'' पुलिस/बाढ़ सुरक्षा चौकी'' हेतु लखनऊ महायोजना-2021 के वर्तमान भू-उपयोग को ''30 मी0 चौडे मार्ग'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाओं '' में परिवर्तित किया जाना।

(ख) सुरक्षा चौकी के आगे दक्षिण दिशा में लखनऊ- बाराबंकी **उत्तर** रेलवे लाइन तक लगभग 950 मी0 की लम्बाई में निर्मित तटबन्ध के वर्तमान महायोजना भू-उपयोग ''30 मी0 चौड़े मार्ग'' को ''तटबन्ध/हरितपट्टी'' में परिवर्तित किया जाना।

(रुचि जैन)
नगर नियोजक

अनुलग्नक -1

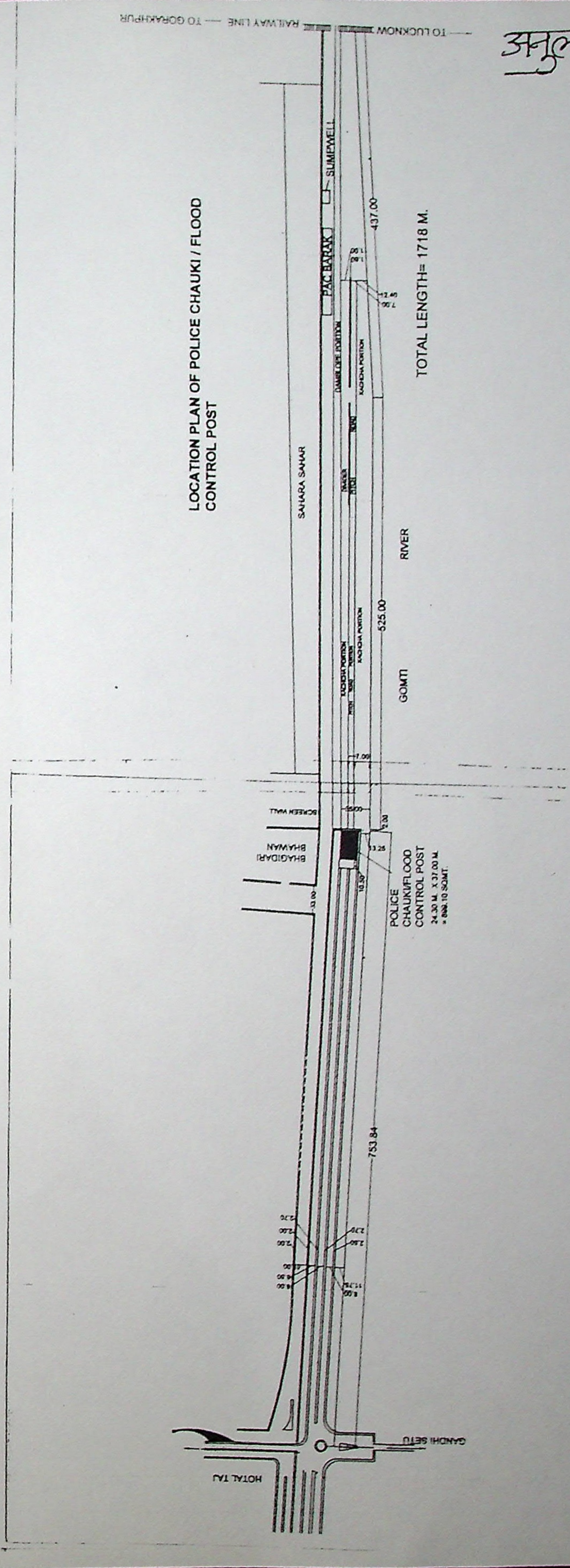
LOCATION PLAN OF POLICE CHAUKI / FLOOD CONTROL POST
RAILWAY LINE — TO GORAKHPUR
TO LUCKNOW
SUMPWELL
PAC BARAK
437.00
TOTAL LENGTH= 1718 M.
SAHARA SAHAR
GOMTI RIVER
525.00
SCREEN WALL
BHAGIDARI BHAWAN
POLICE CHAUKI/FLOOD CONTROL POST
24.30 M. X 37.00 M. = 899.10 SQMT.
753.84
GANDHI SETU

PLAN SHOWING DIFFERENT SECTORS OF GOMTI NAGAR & GOMTI NAGAR EXTENSION, LUCKNOW.

विषयः प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एल में लगभग 101 एकड़ के क्षेत्रीय पार्क के लगभग 21 एकड़ क्षेत्र को 'स्मृति उपवन के रूप में तथा अवशेष क्षेत्र को 'मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल' के रूप में विकासित करने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानुपर रोड योजना के सेक्टर–एल में लगभग 101 एकड़ क्षेत्र को प्राधिकरण द्वारा योजना का प्रारम्भ में तैयार कराए गए ले–आउट प्लान में क्षेत्रीय पार्क के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। इसके उपरान्त वर्ष 1998 में इस पार्क को 'स्वर्ण जयन्ती स्मृति उपवन' के रूप में विकसित करने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.08.98 को शिलान्यास किया गया था। वर्ष 1998 में जो परियोजना तैयार की गयी थी, उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजन अथवा किसी अवसर विशेष की स्मृति में इस उपवन में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर वृक्ष लगाना चाहे तो व रू0 100/– प्रति वृक्ष की दर से प्राधिकरण में जमा कर एक पुस्तिका क्रय कर सकता है एवं प्राधिकरण से वृक्षों को क्रय कर निर्धारित स्थल पर वृक्षारोपण कर सकता है। इसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का वृक्षारोपण कराया गया था। दिनांक 10.07.99 को कारगिल शहीदों की स्मृति में इस उपवन में 'कारगिल निकुजं' विकसित करने का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। स्थल पर लगाए गए पत्थर में 75 शहीदों का नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त उपवन के एक स्थाऩ पर 'कारगिल पुष्करणी' का भी शिलान्यास पत्थर स्थापित किया गया था। दिनांक 15.08.06 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, उ.प्र. द्वारा इस उपवन के एक हिस्से में नगरीय वन की स्थापना, भू–जल सम्वर्द्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना हेतु शिलान्यास किया गया था।

2. वर्तमान में उपवन के अन्तर्गत लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष स्थित हैं जिन्हें उनकी प्रजाति के आधार पर 'नीम निकुंज', 'अमरूद निकुंज', 'शीशम निकुंज' आदि के नाम दिए गए हैं। इसका रखरखाव प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में लगभग एक एकड़ क्षेत्र 'कारगिल निकुंज' एवं 'कारगिल पुष्करणी' का पत्थर उपलब्ध है।

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू/वि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

3. प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में विषय संख्या–5 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में इस उपवन को 'मान्यवर श्री कांशीराम स्मृति उपवन' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्याः 8782 (एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ.प्र. सरकार व अन्य में दिनांक 05.03.08 को स्मृति उपवन के नाम परिवर्तन पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा की गयी थी। इसके क्रम में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 11.03.08 में विषय सं0 2 पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्मृति उपवन के नाम के प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया था एवं विचारोपरान्त इसे 'बौद्ध विहार शान्ति उपवन' के रूप में विकसित करने का निर्णय पारित हुआ था। उपरोक्त रिट याचिका में दिनांक 19.03.08 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश में स्मृति उपवन का नाम परिवर्तत करने पर रोक लगायी गयी है। अतएव मा. उच्च न्यायालय के आदेश का समादर करते हुए कारगिल शहीदों की स्मृति को अक्षुण बनाये रखने के उद्देश्य से कारगिल निकुंज को चाहरदीवारी से घेर कर सुरक्षित करना उचित होगा।

4. इसी तारतम्य में यह भी उल्लेख करना है कि विगत दिनों प्रश्नगत परिसर का निरीक्षण विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया था एवं यह देखा गया था कि जिस 21 एकड़ क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण है तथा कारगिल निकुंज एवं कारगिल पुष्करणी के पत्थर लगे हैं, वहाँ पर तमाम जानवर आ–जा रहे हैं, जिससे इन वृक्षों को एवं विभिन्न विकास कार्यों को क्षति पहुँचनें की सम्भावना है। अतः यह मत स्थिर किया गया था कि 21 एकड़ क्षेत्र को बाउण्ड्रीवाल बनाकर सुरक्षित कर दिया जाए। तद्नुसार स्थल पर बाउण्ड्रीवाल बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

5. जन सभाओं तथा राजनैतिक रैलियों के लिए प्राधिकरण द्वारा लखनऊ–बिजनौर रोड पर शारदा नगर के राधा खण्ड में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में रमाबाई अम्बेडकर मैदान विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र नगर के बाहरी हिस्से में स्थित है एवं नगर के अन्दर से यहाँ आने जाने के लिए कोई सुविधाजनक यातायात नहीं है, जिसके कारण रमाबाई अम्बेडकर मैदान में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन करने में कठिनाई होगी। रमाबाई अम्बेडकर मैदान मुख्य नगर से दूर स्थित होने के कारण तथा लखनऊ महानगर का क्षेत्र विस्तार बढ़ जाने के कारण नगर में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व विभिन्न सरकारी आयोजनों हेतु पर्याप्त एवं खुला स्थल उपलब्ध नहीं है। आए दिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा ऐसे आयोजनों के लिए जिला प्रशासन व लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता रहा

(एस0 बी0 मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू/वि0)
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

है। जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर ऐसे अयोजनों हेतु किसी उपयुक्त स्थल का चयन करने एवं उसे विकसित कराने का अनुरोध किया जाता रहा है। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एल के 101 एकड़ क्षेत्र जिसे प्राधिकरण द्वारा योजना के प्रारम्भ में तैयार कराये गये ले–आउट में क्षेत्रीय पार्क के रूप में दर्शाया गया था एवं जिसका भू–उपयोग महायोजना 2021 में क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीड़ा (पी–2) है, के लगभग 80 एकड़ क्षेत्र को खुले क्षेत्र के रूप में इस प्रकार से विकसित कराया जाए, जिससे यहाँ पर सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सरकारी कार्यक्रम आयोजित किये जा सकें। इस हेतु रु0 50 हजार प्रतिदिन का किराया निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है। परियोजना के आर्कीटेक्ट द्वारा अवशेष 80 एकड़ क्षेत्र को विकसित करने के सम्बन्ध में एक 'कंसेप्ट नोट' उपलब्ध कराया गया है, जो टिप्पणी के साथ संलग्न किया जा रहा है। आर्कीटेक्ट द्वारा इस स्थल को उपरोक्तानुसार विकसित करने हेतु आगे की डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार की जा रही है। आर्किटेक्ट द्वारा तैयार करायी जाने वाली ड्राइंग के आधार पर आगे के विकास कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं।

6. मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा दलितों एवं शोषित वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान हेतु अपने जीवनकाल में अद्वितीय योगदान दिया गया एवं उन्होंने अपना पूरा जीवन इन वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। दिनॉक 09 अक्टूबर, 2008 को मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है अतः उन्हें श्रद्वांजलि स्वरूप इस अवशेष 80 एकड़ के क्षेत्र को 'मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल' के रूप में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विकसित करने का प्रकरण विचारणीय है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एल के 101 एकड़ क्षेत्र में से 21 एकड़ क्षेत्र को 'स्मृति उपवन' के रूप में सुरक्षित करने तथा अवशेष 80 एकड़ क्षेत्र को 'मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल' के रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सरकारी आयोजनों के लिए विकसित करने तथा इन कार्योक्रमों हेतु रु0 50 हजार प्रति दिन का किराया निर्धारित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू/वि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

विषय: गोमती नगर में गाँधी सेतु से लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाईन तक नदी के बाएं तटबन्ध पर निर्मित बन्धे का प्रयोग सड़क के रूप में करने, बन्धे पर निर्मित चौकी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने तथा भागीदारी भवन के दोनो ओर के क्षेत्र, जिसका भु–उपयोग महायोजना 2021 में खुला क्षेत्र एवं हरित पट्टी है, के प्रयोग के प्रकरण पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।

मा. उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ में विचारार्थ रिट पिटीशन संख्या 6681(एम.बी.)/08 गोमती नगर जन कल्याण समिति वनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य में मुख्य रूप से गांधी सेतु से लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाईन तक नदी के बांए तटबन्ध पर सड़क (यातायात) के लिए चालू रखने के लिए, बंधे पर कोई अवरोध न खड़ा करने तथा बंधे के नीचे भागीदारी भवन के दोनों ओर की सड़क यातायात के लिए चालू रखने, उस पर कोई अवरोध न उत्पन्न करने तथा भू–उपयोग का परिवर्तन न करने के सम्बन्ध में याचिका की गयी है। इस रिट याचिका में दिनांक 23.09.08 को मा. उच्च न्यायालय में सुनवाई के समय प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे एवं मा. न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट की गयी थी। मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.08 को इस प्रकरण में पुनर्विचार करने की बात कही उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 14.10.08 को अगली सुनवायी से पूर्व प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। मा. उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न की जा रही है।

2. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित स्थिति प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है :–

1. गोमती नगर योजना में नदी के बॉये तटबन्ध तथा डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के मध्य स्थित सड़क ताज होटल तिराहे से रेलवे लाइन के पास तक जाती है एवं इस सड़क के दूसरी ओर कोई आवासीय कालोनी या आबादी नहीं है। यह सड़क डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं बन्धे के मध्य स्थित होने के कारण एवं इस पर डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का वी.आई.पी. प्रवेश द्वार स्थित होने के कारण इसका प्रयोग केवल डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों द्वारा ही किया जा सकेगा तथा इस सड़क पर वी.

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू/वि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

आई.पी प्रवेश होने के कारण इस सड़क का उपयोग केवल पार्किंग के रूप में होगा। यह सड़क डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों के लिए एवं उनके वाहनों की पार्किंग के लिए ही प्रयोग हो सकेगी, अन्य कार्यो हेतु यह सड़क लगभग निष्प्रयोज्य हो गयी है। डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर तक इसका उपयोग डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों के लिए एवं उनके वाहनों की पार्किंग के लिए प्रयोग हो सकेगा, परन्तु इसके आगे की सड़क का भाग लगभग निष्प्रयोज्य ही रहेगा। डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं बन्धे के मध्य लखनऊ मास्टर प्लान 2021 में अंकित इस सड़क का उपयोग भागीदारी भवन के छात्रों द्वारा तथा डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में आने वाले आगन्तुकों एवं उनके वाहनों की पार्किंग के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है इस प्रकार भागीदारी भवन के आगे की सड़क निष्प्रयोज्य हो गयी है।

2. भागीदारी भवन के पीछे स्थित सृजन विहार कालोनी के लिए सहारा शहर व भागीदारी भवन के पूर्वी छोर के बीच एक निकास व प्रवेश उपलब्ध है, जिसके कारण इस कालोनी के निवासियों द्वारा मुख्य सड़क पर आकर सहारा शहर/विपुल खण्ड की ओर जाते हुए आवागमन किया जायेगा। इस कालोनी के अतिरिक्त कोई अन्य रिहायसी क्षेत्र न होने के कारण सहारा शहर के मुख्य द्वार से भागीदारी भवन के तिराहे की ओर जाने वाली मास्टर प्लान की सड़क पर सहारा शहर/विपुल खण्ड की ओर से कोई वाहन भागीदारी भवन तक नहीं आयेगा। सहारा शहर एवं भागीदारी भवन के बीच में इस कालोनी के निवासियों द्वारा इस सड़क का उपयोग करते हुए सहारा शहर की ओर से विपुल खण्ड तथा नगर के अन्य क्षेत्रों में आने–जाने हेतु इसका प्रयोग किया जायेगा न कि डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के किनारे से। इस प्रकार भागीदारी भवन एवं डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच 30 मीटर चौड़ी सड़क का यह भाग (भागीदारी भवन तिराहे से भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक) भी लगभग निष्प्रयोज्य पड़ा रहेगा।

3. बन्धा तथा भागीदारी भवन के बीच की सड़क भागीदारी भवन के आगे रेलवे लाइन से कुछ पहले तक जाती है। इस सड़क के रेलवे लाइन की आगे छोर पर एक पी.ए.सी. बैरक तथा उ.प्र. जल निगम का पम्पिगं स्टेशन बना हुआ है, जिसका पहुँच मार्ग वर्तमान मे बन्धे के ऊपर से होता है।

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू/वि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

4. शासन द्वारा भागीदार भवन के सम्मुख की सड़क का भू–उपयोग यातायात एवं परिवर्तन वर्तमान सड़क से मनोरंजनात्मक पार्क एवं खुले क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे सड़क का यह भाग यातायात के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। वर्तमान समय में विपुल खण्ड से सहारा शहर के मुख्य द्वार पर निर्मित 30 मीटर चौड़ी सड़क को सहारा शहर के मध्य से होते हुए लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाईन तक विकसित किया जाना है। रेलवे लाइन पर एक आर.ओ.बी. का प्रस्ताव है। आर.ओ.बी. के निर्माण के लिए रेलवे, उ.प्र. राज्य सेतु निगम तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं द्वारा संयुक्त सर्वे एवं निरीक्षण करके सड़क एवं आर.ओ.बी. का एलाइनमेन्ट निर्धारित किया जा चुका है। इस सड़क व आर.ओ.बी. के बनने के उपरान्त रेलवे लाइन के पास निर्मित पी.ए.सी. बैरक, उ.प्र. जल निगम का पम्पिंग स्टेशन तथा गोमती नगर विस्तार को एक सुविधाजनक प्रमुख मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ साथ अमर शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड तथा रायबरेली रोड की दिशा से आने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के लिए भी सुविधा जनक रहेगा। इस सड़क व आर.ओ.बी. के निर्माण के फलस्वरूप ताज होटल से भागीदारी भवन के ओर निर्मित सड़क एवं इसी प्रकार भागीदारी भवन से सहारा शहर की ओर की सड़क की आवश्यता नहीं रहेगी।

5. विगत दिनों विपुल खण्ड व इसके आस–पास के क्षेत्र में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण बन्धे के ऊपर बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निर्माण कराया गया है। बाढ़ की स्थित में कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है, अतः निर्मित किए गए बाढ़ नियंत्रण कक्ष में स्थानीय पुलिस के भी बैठने की व्यवस्था करायी गयी है।

6. जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर–4 पर अंकित किया गया है कि विपुल खण्ड व सहारा शहर के मुख्य द्वार से होते हुए रेलवे लाइन तक सड़क एवं रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी. निर्मित हो जाने के पश्चात गोमती नगर को गोमती नगर विस्तार, अमर शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड तथा रायबरेली रोड की ओर के क्षेत्र को जोड़ने के लिए अधिक सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध होगा। अतः इन परिस्थितियों के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा परिचालन के माध्यम से गॉधी सेतु से दक्षिण की ओर लगभग 750 मीटर की दूरी पर निर्मित पुलिस/बाढ़ सुरक्षा चौकी की 900 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग 30 मीटर चौड़े मार्ग से सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाओं में तत्पश्चात उक्त चौकी से लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन तक लगभग 950 मीटर दूरी में निर्मित तटबन्ध के भू–उपयोग को 30 मीटर चौड़े मार्ग से बन्ध/हरिट पट्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है एवं उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने के लिए शासन को संदर्भित किया गया है।

(एस० सी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू/वि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

इस प्रकार प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तित हो जाने के उपरान्त बन्धे को सड़क के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान समय में यह बन्धा रेलवे लाइन से कुछ पहले समाप्त हो जाता है, अतः इसका उपयोग गोमती नगर योजना को गोमती नगर विस्तार तथा अमर शहीद पथ से जोड़ने हेतु सड़क के रूप में नहीं किया जा सकता है।

7. भागीदारी भवन के उत्तर एवं पश्चिम के क्रमशः 5220 एवं 2565 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग यातायात एवं परिवर्तन वर्तमान सड़क से मनोरंजनात्मक पार्क एवं खुले क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। अतः यह क्षेत्र भी सड़क के रूप में आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं होगा।

प्रस्ताव

उपरोक्त टिप्पणी मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 6681(एम.बी.)/08 गोमती नगर जन कल्याण समिति वनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य में दिनॉक 23.09.2008 को पारित अन्तरिम आदेश के क्रम में प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू/वि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

विषयः रमाबाई अम्बेडकर मैदान का प्रयोग केवल जनसभाओं एवं राजनैतिक पार्टियों की रैली के लिए ही अनुमन्य करने एवं इस हेतु प्रतिदिन रू0 50,000/- का शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास किया जा रहा है। यह मैदान मुख्य शहर से दूर एक किनारे में स्थित होने के कारण शहर के मध्य से यहाँ पर आने जाने में आम जनता को कठिनाई होगी। प्रायः विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शहर के मध्य भाग में स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता रहा है। कई संस्थाओं को पूर्व में रमाबाई अम्बेडकर मैदान के स्थल का सुझाव देनें पर उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि रमाबाई अम्बेडकर मैदान शहर से दूर होने के कारण यहाँ तक आने-जाने में आम जनता को असुविधा होती है। इस आधार पर शहर के मध्य किसी खुले स्थान पर स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता रहा है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एल में लगभग 101 एकड़ क्षेत्र जिसे कानपुर रोड योजना के प्रारम्भ में तैयार किए गए ले-आउट में क्षेत्रीय पार्क के रूप में रखा गया था एवं जिसका भूउपयोग महायोजना 2021 में क्षेत्रीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थल है, में से 21 एकड़ क्षेत्र को स्मृति उपवन के रूप में सुरक्षित करने तथा अवशेष 80 एकड़ क्षेत्र को सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में रमाबाई अम्बेडकर मैदान का उपयोग केवल जनसभाओं तथा राजनैतिक पार्टियों के रैलियों के लिए ही अनुमन्य करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रस्ताव :

उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत रमाबाई अम्बेडकर मैदान का उपयोग केवल जनसभाओं तथा राजनैतिक पार्टियों के रैलियों हेतु अनुमन्य करने एवं इस हेतु प्रति-दिन रू0 50,000/- का शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (मु/नि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

विषय: **हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-ए की 9.00 हेक्टेअर भूमि का भू-उपयोग ''व्यवसायिक'' से ''आवासीय'' तथा सेक्टर-आई की 9.00 हेक्टेअर भूमि का भू-उपयोग ''आवासीय'' से ''व्यवसायिक'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।**

हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-ए की 9.00 हेक्टेअर भूमि का भू-उपयोग ''व्यवसायिक'' से ''आवासीय'' तथा सेक्टर-आई की 9.00 हेक्टेअर भूमि का भू-उपयोग ''आवासीय'' से ''व्यवसायिक'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विषय संख्या-9 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01.03.2008 में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के दृष्टिगत से 30 दिन की अधिसूचना संख्या-4135/8-3-08-22/एल.यू.सी./08, दिनांक 07.08.2008 प्रेषित की गयी।

उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' एवं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में किया गया। निर्धारित अवधि में मात्र एक आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हुआ है, जिसकी सुनवाई शासनादेश संख्या-4816(1)/9-आ-3-2003-9महा/2002, दिनांक 20.12.2003 द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 06.10.2008 को की गयी। सुनवाई समिति की संस्तुति संलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव:

उपर्युक्त क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत शासन स्तर से अन्तिम अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(रवि जैन)
नगर नियोजक

हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए एवं सेक्टर–आई में प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति/ सुझाव की सुनवाई दिनांक 06.10.08 से सम्बन्धित विवरण।

क्रम सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	समिति की संस्तुति
1.	श्री हाशिम रजा वगैरह	1. प्रश्नगत भूमि शासन द्वारा हरदोई रोड योजना हेतु दिनांक 12.11.1981 को अधिग्रहित की गयी थी। 2. इस इसका एवार्ड दिनांक 23.09.1986 को कृषि भूमि की दरों के अनुसार किया गया जिसको प्राप्त नही किया गया। 3. काश्तकारों द्वारा मुआवजे की दरों को बढ़ाने की मॉग की गयी जिसके क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समझौते के आधार पर भूमि की दरे निर्धारित की गयी जिसमें कुछ काश्तकारों द्वारा प्राप्त किया जबकि उनके द्वारा ऊँची दर मॉगी जा रही है। 4. भूमि की प्रकृति/उपयोग व्यवसायिक है, इसे व्यवसायिक ही रहने दिया जाना चाहिए। इसकी प्रकृति में परिवर्तन करने से आवेदकों को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। 5. काश्तकारों को व्यवसाय का अवसर दिया जाना चाहिए तथा यदि भू–उपयोग परिवर्तित किया जाता है तो आवेदकों को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।	1. आपत्तिकर्ताओं द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसका भूउपयोग परिवर्तन से कोई सम्बंध नहीं है।अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। 2. तदैव। 3. तदैव। 4. भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित है, अतः भू–उपयोग परिवर्तन से किसी आवेदक को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता है। 5. तदैव।

(रवि जैन)
नगर नियोजक

6/X/08
VC

35

संलग्नक–1

		6. यदि भूमि की प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है तो आवेदकों की भूमि को अधिग्रहण मुक्त कर दिया जाय।	6. हरदोई रोड में भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तांतरित हो चुका है। इस प्रकार भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है। किसी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। वैसे भी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का भूमि की प्रकृति में परिवर्तन करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। **उपरोक्तानुसार आवेदकों द्वारा दिया गया सुझाव / आपत्ति का निस्तारण करते हुए प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित करने की संस्तुति की जाती है।**

(रवि जैन)
नगर नियोजक
ल0वि0प्रा0

(एस0बी0मिश्रा)
संयुक्त निदेशक
(भू0 / वि0)
ल0वि0प्रा0

(सत्यवीर सिंह दलाल)
सहयुक्त नियोजक,
प्रतिनिधि, मुख्यनगर एवं
ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ

(अनुपम शुक्ला)
जोनल अधिकारी
प्रतिनिधि, नगर आयुक्त,
लखनऊ

अपर जिलाधिकारी, (भू0 अ0)
प्रतिनिधि, जिलाधिकारी,
लखनऊ

(शिव श्याम मिश्रा)
अपर आयुक्त,
प्रतिनिधि, आयुक्त
लखनऊ मण्डल

6/X/08
(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

अनुपूरक विषय संख्याः 1 पृष्ठ संख्याः 1

विषयः<u>गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 एवं सेक्टर-5 के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।</u>

गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 का तलपट मानचित्र सं0-एल0पी0-1 वर्ष 2005 में प्राईवेट कन्सल्टेन्ट मै0 जैसवाल एण्ड एसोसिएट, दिल्ली के माध्यम से तैयार करवाया गया था तथा इसका अनुमोदन तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा किया गया था। इस तलपट मानचित्र के आधार पर स्थल पर विकास कार्य करा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों के भूखण्डों का आवंटन किया गया है। इस तलपट मानचित्र में स्थल की स्थितियों एवं नियोजन मापदण्डों के मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं के दृष्टिगत संशोधन की आवश्यकता है:-

(क) स्थल पर स्थित कर्बला की स्थिति तलपट मानचित्र से भिन्न है, इसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराया जा रहा है। उक्त सत्यापन के पश्चात तलपट मानचित्र में प्रभावित भू-उपयोगों को रीलोकेट करना पड़ेगा जिस हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन की आवश्यकता होगी।

(ख) तलपट मानचित्र में गोमती नदी के किनारे निर्माणधीन बन्धे के संरेखण में परिवर्तन हुआ है। फलस्वरूप 200 वर्ग मी0 के 58 भूखण्ड विलुप्त हो गये है इन भूखण्डों को अन्यत्र समायोजित किया जाना होगा तथा इस हेतु अतिरिक्त भूखण्ड सृजित किये जाने होंगे।

(ग) तलपट मानचित्र में अनेको भूखण्ड ऐसे नियोजित है जिनके आगे व पीछे दोनों तरफ मार्ग दिए गये है जोकि नियोजन की दृष्टि उचित नहीं है।

(घ) तलपट मानचित्र में 'डेड-एण्ड' के भूखण्डों में सड़क के अन्त की निष्प्रयोज्य भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ङ) तपलट मानचित्र में अनेक स्थानों पर सड़कों की प्रस्तावना यातायात की दृष्टि से उचित नहीं है।

(च) तलपट मानचित्र में व्यावसायिक, सामुदायिक सुविधाओं एवं ''इनफोर्मल सेक्टर'' के भूखण्डों का नियोजन एवं लोकेशन उचित नहीं है।

(झ) तलपट मानचित्र में विभिन्न स्थानों पर छोड़ी गई ''ग्रीन बेल्ट'' पतली पट्टी अथवा छोटे-छोटे टुकडों के रूप में छोडी गई है जोकि अनुपयोगी है तथा भविष्य में इस पर अतिक्रमण होने की सम्भावना है।

(रवि जैन)

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक नियोजन से सम्बन्धित त्रुटियाँ है जिनका स्थल पर हुए विकास को यथा सम्भव समायोजित करते हुए निराकरण किया जाना आवश्यक है।

2. गोमती नगर. विस्तार योजना के सेक्टर-5 के तलपट मानचित्र का नियोजन भी प्राइवेट कन्सल्टेन्ट मै0 जैसवाल एण्ड एसोसिएट, दिल्ली के माध्यम से कराया गया तथा इस तलपट मानचित्र सं0-एल0पी0-2 का अनुमोदन तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। तलपट मानचित्र में 115.00 वर्ग मी0 के 957 भूखण्ड सृजित किए गये थे जिनका तत्समय आवंटन कर दिया गया। कालान्तर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि तलपट मानचित्र में महायोजना में प्रस्तावित ''हरित पट्टी'' की भूमि पर भूखण्डों का सृजन कर दिया गया है फलस्वरूप इस तलपट मानचित्र को दिनांक 25.08.2006 में संशोधित किया गया तथा इसका अनुमोदन तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। इस तलपट मानचित्र में भूखण्डों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तथा अभी इस तलपट मानचित्र पर नम्बरिंग नहीं की गई है तथा न ही पूर्व तलपट मानचित्र के अनुसार आवंटित भूखण्डों के आवंटियों को नये नम्बर आवंटित/सृजित किए गये है। इस तलपट मानचित्र के अनुसार स्थल पर आंशिक विकास हुआ है।

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 06.09.08 में इस योजना के विभिन्न विस्थापित व्यक्तियों को 75 वर्ग मी0 के भूखण्डों के आवंटन का निर्णय लिया गया है। विस्थापितों हेतु योजना में अन्यत्र भूखण्ड नियोजित नहीं है तथा इन भूखण्डों का आवंटन न होने के कारण योजना का विकास कार्य बाधित है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु यह अपरिहार्य है कि सर्वप्रथम योजना के विस्थापित व्यक्तियों हेतु भूखण्डों का नियोजन कर उन्हें आवंटित किया जाये। वर्तमान में सेक्टर-5 के अतिरिक्त अन्य किसी सेक्टर में अविवादित भूमि उपलब्ध नहीं है। यद्यपि सेक्टर-5 में समस्त भूमि पूर्व से नियोजित है एवं अधिकांश भूखण्ड आवंटित है तथापि गोमतीनगर विस्तार योजना के क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि इस सेक्टर की ऐसी भूमि जिस पर अभी विकास नहीं हुआ है, के भू-भाग के तलपट मानचित्र को संशोधित करते हुए इस विस्थापितों हेतु आवश्यक 75.00 वर्ग मी0 के भूखण्ड नियोजित कर उनका

(रवि जैन)
नियोजक

आवंटन किया जाये तथा प्रश्नगत स्थल के पूर्व के आवंटियों को सेक्टर-2 व सेक्टर-3 की भूमि का विवाद समाप्त होने पर इन सेक्टरों में समायोजित किया जाये।

3. शासनादेश सं0-4900/9-आ-3-96-60 एल0यू0सी0/96 दिनांक 26.12.96 तथा सपठित शासनादेश सं0- 2438/9-आ-3-98-60 एल0यू0सी0/96 दिनांक 13.10.1998 (अनुलग्नक-1) में दी गई व्यवस्थानुसार प्राधिकरण की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग को परिवर्तित करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है तथा इस संशोधन हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम्-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था है।

<u>प्रस्ताव:-</u>

उपर्युक्त को दृष्टिगत गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 एवं सेक्टर-5 के तलपट मानचित्रों में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्राधिकरण से अनुमोदन के पश्चात तलपट मानचित्र में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा तथा यदि किसी संशोधन विशेष में भू-उपयोग परिवर्तन का बिन्दु निहित होगा तो समस्त कार्यवाही उपर्युक्त शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थानुरूप की जायेगी।

(रवि जैन)
नगर नियोजक

अनुलग्नक-1

प्रेषक, संख्या-2438/9-आ-3-98-60 एल.यू०सी०/96

श्री अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियाँ/नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल०यू०सी०/96, दिनाँक 26-12-96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निदेश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुर्नविचार किया गया।

2. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किये हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ०प्र० आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाये परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाये। अर्थात ऐसे मामलों में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाये। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण वं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26-12-96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनाँक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1). मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को
(2). आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
(3). गार्ड फाइल।
(4). उ०प्र०, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

एच. पी. सिंह
अनुसचिव

लखनऊ महानगर में मैट्रो सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

लखनऊ महानगर में जनसंख्या के बढ़ते दबाव तथा संड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित करने की दृष्टि से लखनऊ महानगर में मेट्रो रेल की संभावना पर कार्यवाही करना अतीव सामयिक होगा। इसी को कदाचित उ0प्र0 शासन के समक्ष दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा आय की पृष्ठभूमि का एक कान्सेप्ट पेपर प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उनके द्वारा इस महानगर में मैट्रो रेल संचालन विषयक तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं सहित अन्य उपायों पर अध्ययन कर डी0पी0आर0 की संरचना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस पर कुल 04 करोड़ व्यय आंकलित किया गया है। शासन के पत्रांक-45/पी0एस0एच0/08, दिनांक 11.10.08 द्वारा इस अनुमानित व्यय में से 40 प्रतिशत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जबकि 60 प्रतिशत अर्थात रू0 2.40 करोड़ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने का निर्देश दिया गया है।

महानगर के सुनियोजित विकास की दिशा में उच्चकोटि की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राधिकरण के दायित्वों में से प्रमुख है। प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से अग्रणी केन्द्र होने के कारण प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों में यहां बसने का रूझान उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर मेट्रो की स्थापना में प्राधिकरण द्वारा अपना योगदान करना सर्वथा उचित होगा। इस पर आने वाले व्यय को अवस्थापना विकास मद से वहन किया जा सकता है।

प्रस्तुति : प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा डी0पी0आर0 की संरचना हेतु दिये गये प्रस्ताव पर उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार आने वाले कुल व्यय में से 60 प्रतिशत् अर्थात रू0 2.40 करोड़ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना मद से वहन करने की अनुमति देने पर विचार हेतु उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर विस्तार योजना मे बहुमंजिले आवासीय भवन की योजना।

पूर्व मे गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर--जे जानकीपुरम योजना तथा मानसरोवर योजना मे 4 मंजिले फ्लेट के निर्माण हेतु पंजीकरण खोले गये थे, जिसमे कुल 282 पंजीकरण प्राप्त हुये थे। जो योजना खुली थी उनमे भवनो की कास्ट मे 15 प्रतिशत ओवर हेड, 15 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज सम्मिलित करने के साथ--साथ भूमि की लागत आवासीय से डेढ गुनी थी। इस प्रकार प्रस्तावित भूमि का मूल्य अधिक होने के कारण आशातीत पंजीकरण नही प्राप्त हुये थे। यह भी उल्लेखनीय है कि 282 पंजीकरणो मे कुल 250 पंजीकरण केवल गोमती नगर योजना के थे। इससे स्पष्ट होता है कि गोमती नगर योजना मे भवन/भूखण्ड लेने के व्यक्ति अधिक इच्छुक रहते है। लखनऊ नगर की बढती हुयी आवादी के कारण भवनो की मांग निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूरी नही की जा पा रही है। दिनो--दिन भवनो की मागं बढती जा रही है। इन मागं को पूरा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सस्ते दर पर भवनो का निर्माण किया जाना होगा। इस दृष्टिकोण से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष दीपावली पर वृहद रूप से बहुमंजिले भवन की योजना प्रारम्भ करने एवं पंजीकरण खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

जैसा कि अकिंत किया गया है कि भवनो की लागत कम करने के उददेश्य से पूर्व मे जारी प्रकिया मे विचलन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित विचलन निम्नवत अकिंत किया जा रहा है।

1. भूमि की लागत प्रचलित आवासीय दर के डेढ गुना के स्थान पर आवासीय दर के बराबर रखी जाये।
2. 15 प्रतिशत ओवर हेड तथा 15 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज के स्थान पर 12प्रतिशत ओवरहेड तथा 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी रखा जाये। इस हेतु आवंटन नियमावली मे संशोधन किया जाये।
3. पंजीकरण/आवंटन के लिये विक्रय मूल्य 10 प्रतिशत पंजीकरण तथा 15 प्रतिशत आरक्षण धनराशि रखने की व्यवस्था है। योजना मे प्रारम्भ से इतनी धनराशि लेने का कोई औचित्य नही है। इसके स्थान पर 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि तथा 7.5 प्रतिशत आरक्षण धनराशि निर्धारित की जाये।
4. नवीनतम शासनादेश मे की गयी व्यवस्था के अनुसार योजना मे अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. 2.5 प्रतिशत प्राप्त किया जाये।

5. भवनो का निर्माण लिफ्ट व अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओ के साथ बहुमंजिले भवन के रूप मे किया जाये।

6. भवनो की गुणवत्ता के उददेश्य से 'थर्ड पार्टी क्वालिटी चेक' की व्यवस्था की जाये।

7. भवनो का निर्माण समयबद्व रूप से पूर्ण करने के उददेश्य से प्राधिकरण मे इस योजना के लिये अभियन्त्रण, नियोजन, वित्त एवं सम्पत्ति अनुभाग के अधिकारियो की एक विशेष सेल का गठन किया जाये एवं योजना के पूर्ण होने तक यही सेल उत्तरदायी रहेगा।

8. योजना का वृहद प्रचार--प्रसार कराया जाये।

9. योजना पूर्ण होने के तीन वर्ष तक इन भवनो का अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाये। अनुरक्षण हेतु आवंटियो से पृथक से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाये। निर्माण मे तीन वर्ष के पश्चात रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (आर. डब्लू.ए.) गठित किया जाये अथवा स्थानीय निकाय को हस्तगत किया जायें।

10. योजना के प्रति आम जनता का विश्वास बढाने के उददेश्य से प्राधिकरण द्वारा लाटरी, आवंटन, निर्माण , कब्जा हस्तगत करने की तिथि पूर्व से घोषित की जाये।

प्रस्तावः--

उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उपरोक्त प्रस्तर--1 से 10 तक अकिंत प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनु० विषय सं० 4 पृष्ठ संख्या :

विषयः अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेटबैक में चौकीदार रूम कम वाच टावर, ट्यूबवेल/बोरवेल, ट्रान्सफार्मर (छोटा सबस्टेशन) अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।

कतिपय प्रकरणों की अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आवास एवं कार्यालय के भवन मानचित्रों में सुरक्षा की दृष्टि से भवनों के सेटबैक में चौकीदार–रूम कम वाचटावर, व अन्य ऐसी अवस्थापना सुवधिाएँ, जो कि अतिविशिष्टि व्यक्तियों को पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है, की प्रस्तावना की जाती है। वर्तमान में लागू भवन निर्माण उपविधि में सेटबैक क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधाएँ अनुमन्य किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है, जिसके फलस्वरुप अतिविंशिष्टि व्यक्तियों के अवास तथा कार्यालय के भवनों में समुचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने तथा मूल भूत अवस्थापना सुविधाएँ पृथक से उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो जाता है।

2. उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–57 के अन्तर्गत शासन के पूर्वानुमोदन से प्राधिकरण को उपविधि बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अतः ऐसे प्रकरण पर विचार करने एवं निर्माण/विकास अनुज्ञा जारी करने के लिए इसी प्राविधान के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष परिस्थितियों में उपविधि तैयार करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। यह सुविधा केवल अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के मानचित्र, जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर हो, में ही अनुमन्य होगी।

प्रस्ताव :

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेटबैक में चौकीदार–रूम कम वाचटावर तथा अन्य आवश्यक मूल–भूत अवस्थापना सुविधाएँ, जिन्हें पृथक से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हो, अनुमन्य करने हेतु उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–57 की शक्तियों का प्रयोग करके लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष उपविधि तैयार करने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनु0 विषय सं0– 5 पृष्ठ संख्या :

विषयः श्री प्रमोद कुमार शर्मा की 26 माल एवेन्यू, लखनऊ में स्थित दुकान के स्थान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शामे–अवध योजना में आवंटित दुकान का किराया निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा भवन संख्या 26, माल एवेन्यू, लखनऊ पर बाउन्ड्रीवाल के किनारे लगभग 30 वर्षो से चाय व जलपान की दुकान चलायी जा रही थी। 26 माल एवेन्यू, लखनऊ माननीया मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान भवन सख्या 2/13ए, माल एवेन्यू के सम्मुख स्थित थी एवं माननीया मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के कारणो के दृष्टिगत इस दुकान को कुछ समय पूर्व जिला–प्रशासन द्वारा हटा दिया गया था। इस क्रम में जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 1798/ओ.एस.डी./2007 दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 के द्वारा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण से श्री शर्मा को अन्यत्र किसी उपयुक्त स्थान पर भूखण्ड आवंटित करने की अपेक्षा की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री प्रमोद कुमार शर्मा को 17.86 वर्ग मीटर की एक दुकान शामे–अवध योजना में आवंटित किया गया है एवं इसका मासिक किराया रु0 3,950/– निर्धारित किया गया है। श्री शर्मा द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रत्यावेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने यह अवगत कराया है कि उनके द्वारा 26, माल एवेन्यू पर दुकान पर चाय आदि बनाने का कार्य किया जाता रहा है। श्री शर्मा ने यह भी अवगत कराया है कि 26, माल एवेन्यू पर जो दुकान थी, उसका कोई भी किराया नहीं था एवं दुकान के भूस्वामित्व को लेकर उनकी तथा 26 माल एवेन्यू के स्वामी के बीच वाद भी चल रहा है एवं वर्तमान में लम्बित है। इस आधार पर उन्होंने यह अनुरोध किया है कि शामे–अवध में जो दुकान आवंटित किया गया है, उसका अधिकतम रु0 500/– किराया निर्धारित किया जाये। साथ ही साथ 3 वर्ष पर 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी लगायी जाये।

2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा को 26, माल एवेन्यू की दुकान हटने के उपरान्त उनके परिवार के भरण–पोषण हेतु उन्हें शामे–अवध योजना में 17.86 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित करके पुनर्वासित कराया गया है। श्री प्रमोद कुमार शर्मा के अनुरोध पर उन्हें 'सब्सिडाइज्ड' विशेष कोटे के अन्तर्गत आवंटित करने का प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत श्री प्रमोद कुमार शर्मा को विशेष परिस्थितियों में विस्थापित कोटे के अन्तर्गत शामे–अवध में आवंटित दुकान का किराया रु0 500/– प्रतिमाह निर्धारित करने तथा 3 वर्षो की अवधि पर 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अन्य विषय-1 (8)

<u>*मान्यवर कांशीराम जी नगर योजना हेतु जे०एन०एन०यू०आर०एम० की बी०एस०यू०पी० योजना के अन्तर्गत निर्बल आय वर्ग भवनों की वर्तमान स्थिति।*</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यवर कांशीराम जी नगर योजना के अन्तर्गत चार मंजिले निर्बल आय वर्ग के 8896 भवनों की निर्माण परियोजना लागत रू0-164.73 करोड़ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इन भवनों के निर्माण हेतु भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु नगर सीमा के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी थी, किन्तु नगर निगम द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण, इन भवनों को स्वीकृत परियोजना के अनुसार प्राधिकरण की वसन्त कुंज एवं शारदानगर योजना में निर्माण करने का प्राविधान किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक 5424 निर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है इसके अन्तर्गत वसन्त कुंज योजना में 4816 एवं शारदानगर योजना में 608 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त विषयक स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत प्राधिकरण को प्रति भवन रू0-1.95 लाख जिसमें (रू0-1.62 लाख भवन निर्माण एवं रू0-0.33 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होना है तथा इस योजना में प्रति भवन लगभग रू0-2.68 लाख (रू0-2.19 लाख भवन निर्माण एवं रू0-0.49 लाख भूमि एवं भूमि विकास के मद में) व्यय हो रहा है। इस प्रकार प्राधिकरण को अपने स्रोत से रू0-0.73 लाख प्रति भवन अर्थात् निर्माणाधीन 5424 भवनों पर कुल लगभग रू0-40.00 करोड़ वहन करना पड़ेगा।

पूर्व में भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के अतिरिक्त प्राधिकरण को स्वकीय स्रोतों से कुल रू0-0.73 लाख प्रति यूनिट, अर्थात निर्माणाधीन 5424 भवनों पर कुल रू0-39.30 करोड़ धनराशि व्यय करने का निर्णय लिया गया था। विचारणीय यह है कि क्या प्राधिकरण द्वारा इतनी बड़ी धनराशि स्वकीय स्रोतों से वहन करने का औचित्य है एवं क्या प्राधिकरण की क्षमता है और यदि नही तो इस स्तर पर इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा सकते है ? इस विषय पर इस समय दो उपायों पर विचार किया जाना उचित होगा। प्रथम-जितने भी भवन निर्माणाधीन है उनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की आवंटन गाइड लाइन्स के अनुसार नियत अंशदान लेकर जिला प्रशासन एवं सूडा/डूडा के साथ समन्वयन से

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उन पात्र लाभार्थियों को किया जाये जिनके द्वारा लखनऊ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम अथवा प्राधिकरण के स्वामित्व/कब्जे की पूर्व अधिग्रहीत भूमि, नजूल, अरबन लैण्ड सीलिंग आदि की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर तथा अवैध निर्माण करके अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है। इस कार्यवाही से प्राधिकरण को अतीव मूल्यवान भूमि वापस मिल जायेगी जिनपर आवासीय या व्यावसायिक भूखण्ड / भवन तथा बहुमंजिले अपार्टमेन्ट बनाकर उनकी बिक्री करते हुये अच्छी आय अर्जित की जा सकती है।

दूसरा उपाय यह है कि अब तक जितने भवन निर्माणाधीन है, उनके अतिरिक्त अन्य शेष भवन पारा ग्राम में, जहाँ पूर्व से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित लगभग 2100 आश्रयहीन आवास निर्मित है, वहाँ लखनऊ नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी लगभग 11 एकड़ भूमि पर बनाये जायें। इससे प्राधिकरण की इन भवनों के निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली भूमि बच जायेगी जिसे आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं में उपयोग किया जा सकेगा। अवशेष 3472 आवासीय यूनिट निर्मित किये जाने हेतु नगर निगम से भूमि मांग ली जायें, अथवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्बल आय वर्ग हेतु सुरक्षित भूमि अथवा नजूल/अर्बन लैण्ड सीलिंग की भूमि उपयोग में लायी जाये।

<u>प्रस्ताव:-</u>

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रश्नगत योजना के कार्यान्वयन की दिशा में अद्यावधिक प्रगति तथा प्रस्तावित उपायों पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

R-SEP

अन्य विषय

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2008–09 के सितम्बर 2008 तक के आय–व्यय का विवरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण

शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्रतिबद्ध

प्राधिकरण की वित्तीय उपलब्धियाँ

प्रारम्भ में प्राधिकरण अपनी योजनाओं में भवनों/भूखण्डों का निर्माण एवं विकास कार्य मुख्यतः शासकीय ऋण, हडको ऋण एवं बैंकों से प्राप्त ऋण तथा निजी श्रोतों की आय से किया जाता रहा था। प्राधिकरण की लागत प्रणाली एवं वित्तीय प्रबन्धन के फलस्वरुप समयान्तर्गत समस्त ऋणों का प्रतिदान किया गया एवं निरन्तर प्राधिकरण द्वारा अपनी राजस्व एवं पूँजीगत आय में वृद्धि की गयी जिससे वर्तमान में प्राधिकरण अपने संसाधानों से समस्त व्ययों (भूमि क्रय/निर्माण/विकास एवं राजस्व व्यय) को वहन करने में सक्षम है। वर्तमान में प्राणिकरण ऋण मुक्त संस्था है। प्राधिकरण का वर्ष 2006–07 के लेखों का आडिट माहालेखाकार से हो चुका है।

- **आय/प्राप्तियां**

प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट में रु01,17,932.66 लाख की आय प्रस्तावित की गयी थी। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2008–09 के माह सितम्बर तक रु045,533.12 लाख की कुल आय प्राप्त हुई है। जो कि प्रस्तावित आय का 38.61 प्रतिशत है जबकि गत वर्ष 2007–08 में रु01,38,674.81 लाख की आय प्रस्तावित थी जिसके सापेक्ष इसी अंवधि तक रु022,363.16 लाख की आय प्राप्त हुई थी जो कि प्रस्तावित आय का 16.12 प्रतिशत थी। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में 22.49 प्रतिशत अधिक आय प्राप्त हुई है।

- **अर्जित आय**

वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट में रु065500.00 लाख की अर्जित आय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गयां है। इसके सापेक्ष माह सितम्बर 2008 तक रु023215.11 लाख अर्जित आय प्राप्त हुइ है। जो कि प्रस्तावित अर्जित आय का 35.44 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2007–08 में रु055,902.00 लाख की अर्जित आय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष इसी अवधि तक रु017,137.19 लाख की अर्जित प्राप्त हुई थी जो कि प्रस्तावित अर्जित आय का 30.66 प्रतिशत है। इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष माह सितम्बर 2008 तक रु06,077.92 लाख की अजिर्त आय अधिक प्राप्त हुई है।

शासन द्वारा प्राधिकरण हेतु वर्ष 2008–09 में रु074,500.00 लाख की अर्जित आय प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा मासिक फॉट के अनुसार माह सितम्बर 2008 तक लक्ष्य का 40 प्रतिशत अर्थात रु029,800.00 लाख की आय प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष प्राधिकरण को माह सितम्बर 2008 तक रु023,215.11 लाख की अर्जित प्राप्त हुई है। जो कि निर्धारित लक्ष्य का 31.16 प्रतिशत है। इस प्रकार लगभग 9 प्रतिशत आय में हुई कमी को इस वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। आय/प्राप्ति का मदवार विवरण निम्नवत् है :–

<u>वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 में माह सितम्बर तक प्राप्त आय का तुलनात्मक विवरण :–</u>

(रुपये लाख में)

क्रम सं0	मद का नाम	प्रस्तावित 2007–08	वास्तविक 2007–08 (सितम्बर–07 तक)	प्रस्तावित 2008–09	वस्तविक 2008–09 (सितम्बर–08 तक)
आय पक्ष					
1.	पंजीकरण से प्राप्त	5000.00	104.94	10000.00	927.93
2.	आवासीय भूखण्ड से प्राप्त	12000.00	5253.86	10000.00	3618.66
3.	व्य0 भूखण्ड/बल्क सेल	30000.00	7881.81	30000.00	10637.74
4.	भवनों/दूकानों/किराये की सम्पत्ति की बिक्री से	3350.00	1401.44	9170.00	2983.27
5.	शमन शुल्क	500.00	176.89	500.00	52.00
6.	लीजरेन्ट/फ्री होल्ड	500.00	258.86	450.00	922.90
7.	विकास शुल्क	100.00	19.70	50.00	17.65
8.	मानचित्र शुल्क	55.00	29.96	65.00	22.03
9.	विविध आय (अर्जित आय)	4397.00	2009.73	5265.00	4032.93
	योग	**55902.00**	**17137.19**	**65500.00**	**23215.11**
10	विविध आय (अनार्जित आय)	82772.81	5225.97	52432.66	22318.01
	महायोग	**138674.81**	**22363.16**	**117932.66**	**45533.12**

वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 में सितम्बर तक प्राप्त विविध आय का विवरण :

(रु0 लाखों में)

क्रम सं0	मद का नाम	2007–08 (सितम्बर–07 तक)	2008–09 (सितम्बर–08 तक)
क– अर्जित आय			
1.	समुदायिक केन्द्र का किराया	18.96	25.49
2.	पार्कों से आय	32.95	15.25
3.	विनियोगों पर ब्याज/अन्य ब्याज	1098.71	1232.78
4.	लेबी चार्जेज	91.03	9.54
5.	मल्वा चार्जेज	28.88	14.50
6.	सुपरवीजन चार्जेज	27.57	11.48
7.	वाटर/सीवर चार्जेज	30.07	19.61
8.	विभिन्न प्रपत्रों की विक्री	7.50	3.92
9.	भवनों/दुकानों का किराया	7.33	21.75
10	हस्तान्तरण शुल्क	89.83	97.81
11	लाईसेन्स शुल्क	0.01	23.35
12	विविध आय	257.42	1664.85
13	पेनाल्टी/रिफन्ड कटौती से	2.91	1.91
14	स्टाम्प ड्यूटी से आय	316.56	890.69
	योग	2009.73	4032.93

ख अनार्जित आय			
1.	प्रतिभूति (ठेकेदारों से)	8.64	488.71
2.	भवन/वाहन स्टोर वापसी	378.84	922.40
3.	शासन से अनुदान	1074.85	7762.50
4.	निरस्त चेकें/अन्य आय	241.19	137.64
5.	विनियोगो का आहरण	2853.45	11566.98
6.	डिपाजिट कार्य	669.00	1439.78
	योग	5225.97	22318.01

महायोग (क+ख) 7235.70 26350.94

व्यय/भुगतान

वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय की विभिन्न मदों के अन्तर्गत रु01,58,076.34 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह सितम्बर 2008 तक रु080,745.91 लाख क व्यय हुआ है। जो कि कुल लक्ष्य का 51.08 प्रतशत है। मदवार स्थिति निम्नवत् है :-

वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 के माह सितम्बर तक हुए व्यय का तुलनात्मक विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं0	मद का नाम	प्रस्तावित 2007-08	वास्तविक 2007-08 (सितम्बर-07 तक)	प्रस्तावित 2008-09	वस्तविक 2008-09 (सितम्बर-08 तक)
1.	भूमि का प्रतिकर	25000.00	8411.29	25000.00	16740.16
2.	विकास कार्य	25495.00	5075.89	35902.00	14524.57
3.	निर्माण कार्य	3295.00	439.79	8595.00	469.00
4.	डिपाजिट कार्य	76993.81	5234.24	72543.34	39637.34
5.	ऋणों का प्रतिदान	50.00	--	--	--
6.	पंजीकरण वापसी	5000.00	672.82	2500.00	1568.88
7.	अधिष्ठान व्यय	2866.00	1418.08	3464.00	1752.89
8.	विविध व्यय	14339.00	8631.18	10072.00	6053.07
	योग	**153038.81**	**29883.29**	**158076.34**	**80745.91**

उपरोक्त विवरण के अनुसार विकास कार्यों के मद में प्रस्तावित व्यय रु035,902.00 लाख की सापेक्ष माह सितम्बर तक रु014,524.57 लाख का व्यय हुआ है। निर्माण कार्यों के मद में प्रस्तावित व्यय रु085,95.00 लाख के सापेक्ष रु0469.00 लाख का व्यय हुआ है। निर्माण कार्यों पर व्ययों में हुई कमी को इस वर्ष के आगामी माहों में कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

भूमि प्रतिकर के मद में इस वर्ष रु025,000.00 लाख का व्यय प्रसावित किया गया था जिसके सापेक्ष माह सितम्बर 2008 तक रु016,740.16 लाख का भुगतान कर भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। भूमि क्रय हेतु आगामी माहों में प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के कार्यों में और अधिक तेजी लाकर वृद्धि की जायेगी।

अधिष्ठान व्यय में रु03,464.00 लाख का बजट प्राविधान है। इसके सापेक्ष माह सितम्बर 2008 तक रु01,752.89 लाख का व्यय हुआ है। जो कि माह सितम्बर 2008 तक प्राप्त अर्जित आय रु023,215.11 लाख का 7.55 प्रतिशत है।

वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2008–2009 तक के आय–व्यय का तुल्नात्मक सारांश

(रुपये लाख में)

क्रमांक	मद का विवरण	वास्तविक 2005–06	वास्तविक 2006–07	वास्तविक 2007–08	प्रस्तावित 2008–09	वासतविक 2008–09 (सितम्बर–08 तक)
1	2	4	5	6	7	8
1	प्रारम्भिक अवशेष	26398.63	37089.50	30039.45	44948.83	44948.83
2	राजस्व आय	2568.28	5373.17	10101.82	7330.00	4092.37
3	पूँजीगत आय	65483.23	67143.99	119271.39	110602.66	41440.75
4	कुल आय (2+3)	68050.51	72519.16	129373.21	117932.66	45533.52
	योग (1+4)	**94449.14**	**109608.66**	**159412.66**	**162881.49**	**90481.95**
5	राजस्व व्यय	7600.43	5593.49	6028.41	6206.00	2765.81
6	पूँजीगत व्यय	49759.21	73975.72	108435.42	151870.34	77980.10
7	कुल व्यय (5+6)	57359.64	79569.21	114463.83	158076.34	80745.91
8	अन्तिम अवशेष	37089.50	30039.45	44948.83	4805.15	9736.04
	योग (7+8)	**94449.14**	**109608.66**	**159412.66**	**162881.49**	**90481.95**

अन्य विषय-1

मान्यवर कांशीराम जी नगर योजना हेतु जे०एन०एन०यू०आर०एम० की बी०एस०यू०पी० योजना के अन्तर्गत निर्बल आय वर्ग भवनों की वर्तमान स्थिति।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यवर कांशीराम जी नगर योजना के अन्तर्गत चार मंजिले निर्बल आय वर्ग के 8896 भवनों की निर्माण परियोजना लागत रू0-164.73 करोड़ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इन भवनों के निर्माण हेतु भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु नगर सीमा के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी थी, किन्तु नगर निगम द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण, इन भवनों को स्वीकृत परियोजना के अनुसार प्राधिकरण की वसन्त कुंज एवं शारदानगर योजना में निर्माण करने का प्राविधान किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक 5424 निर्बल आय वर्ग में भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है इसके अन्तर्गत वसन्त कुंज योजना में 4816 एवं शारदानगर योजना में 608 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त विषयक स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत प्राधिकरण को प्रति भवन रू0-1.95 लाख जिसमें (रू0-1.62 लाख भवन निर्माण एवं रू0-0.33 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होना है तथा इस योजना में प्रति भवन लगभग रू0-2.68 लाख (रू0-2.19 लाख भवन निर्माण एवं रू0-0.49 लाख भूमि एवं भूमि विकास के मद में) व्यय हो रहा है। इस प्रकार प्राधिकरण को अपने स्रोत से रू0-0.73 लाख प्रति भवन अर्थात् निर्माणाधीन 5424 भवनों पर कुल लगभग रू0-40.00 करोड़ वहन करना पड़ेगा।

पूर्व में भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के अतिरिक्त प्राधिकरण को स्वकीय स्रोतो से कुल रू0-0.73 लाख प्रति यूनिट, अर्थात् निर्माणाधीन 5424 भवनों पर कुल रू0-39.30 करोड़ धनराशि व्यय करने का निर्णय लिया गया था। विचारणीय यह है कि क्या प्राधिकरण द्वारा इतनी बड़ी धनराशि स्वकीय स्रोतों से वहन करने का औचित्य है एवं क्या प्राधिकरण की क्षमता है और यदि नही तो इस स्तर पर इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा सकते है ? इस विषय पर इस समय दो उपायों पर विचार किया जाना उचित होगा। प्रथम-जितने भी भवन निर्माणाधीन है उनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की आवंटन गाइड लाइन्स के अनुसार नियत अंशदान लेकर जिला प्रशासन एवं सूडा/डूडा के साथ समन्वयन से

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उन पात्र लाभार्थियों को किया जाये जिनके द्वारा लखनऊ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम अथवा प्राधिकरण के स्वामित्व/कब्जे की पूर्व अधिग्रहीत भूमि, नजूल, अरबन लैण्ड सीलिंग आदि की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर तथा अवैध निर्माण करके अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है। इस कार्यवाही से प्राधिकरण को अतीव मूल्यवान भूमि वापस मिल जायेगी जिनपर आवासीय या व्यावसायिक भूखण्ड / भवन तथा बहुमंजिले अपार्टमेन्ट बनाकर उनकी बिक्री करते हुये अच्छी आय अर्जित की जा सकती है।

दूसरा उपाय यह है कि अब तक जितने भवन निर्माणाधीन है, उनके अतिरिक्त अन्य शेष भवन पारा ग्राम में, जहाँ पूर्व से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित लगभग 2100 आश्रयहीन आवास निर्मित हैं, वहाँ लखनऊ नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी लगभग 11 एकड़ भूमि पर बनाये जायें। इससे प्राधिकरण की इन भवनों के निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली भूमि बच जायेगी जिसे आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं में उपयोग किया जा सकेगा। अवशेष 3472 आवासीय यूनिट निर्मित किये जाने हेतु नगर निगम से भूमि मांग ली जायें, अथवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्बल आय वर्ग हेतु सुरक्षित भूमि अथवा नजूल/अर्बन लैण्ड सीलिंग की भूमि उपयोग में लायी जाये।

प्रस्तावः-

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रश्नगत योजना के कार्यान्वयन की दिशा में अद्यावधिक प्रगति तथा प्रस्तावित उपायों पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

R-SEP

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी संयुक्त सचिव आवास	प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4.	श्री डी0के0 बर्मन संयुक्त निदेशक, पर्यक्टन,उ0प्र0	प्रतिनिधि–महानिदेशक एवं प्रबन्ध निदेशक पर्यटन, उ0प्र0।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6.	श्री आर0एन0 पाल (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	श्री वी0यू0 विश्नोई, महाप्रबन्धक, गो0प्र0नि0ई0	प्रतिनिधि–मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
9.	श्री सुरेश कुमार रावत	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
10.	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
11.	श्री राम कृष्ण यादव	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

12.	श्री मणि प्रसाद मिश्र	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
13.	श्री बी0राम शास्त्री	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
14.	श्री अवधेश कुमार	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री आर0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री एस0बी0 मिश्र	संयुक्त निदेशक (भू0 / वि0), ल0वि0प्रा0।
17.	श्री रवि जैन	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : अनुपालन नोट किया गया।

विषय संख्या : 3 गोमती नगर योजना में गोमती नदी के बायें तटबन्ध पर गॉधी सेतु से दक्षिण की ओर लगभग 750 मीटर की दूरी पर निर्मित ''पुलिस/बाढ़ सुरक्षा चौकी'' की 900 मीटर भूमि के भू–उपयोग को ''30 मी0 चौड़े मार्ग'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएँ एवं सेवाओं'' तथा तत्पश्चात् उक्त चौकी से लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन तथा लगभग 950 मी0 दूरी मे निर्मित तटबन्ध के भू–उपयोग को ''30 मी0 चौड़े मार्ग'' से ''बन्धा/हरित पट्टी'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त परिचालन के माध्यम से अनुमोदित प्रस्ताव की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गयी तथा उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 4 प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर ''एल'' में लगभग 101 एकड़ के क्षेत्रीय पार्क के लगभग 21 एकड़ क्षेत्र को "स्मृति उपवन" के रूप में तथा अवशेष क्षेत्र को "मान्यवर कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल" के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र में से 21 एकड़ क्षेत्र में स्थित स्मृति उपवन को सुरक्षित करने तथा अवशेष 80 एकड़ क्षेत्र को सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु "मा0 कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल" के रूप में विकसित करने हेतु परिचालन के माध्यम से अनुमोदित प्रस्ताव की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इस परिसर के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/झील को यथावत बनाये रखा जाये।

विषय संख्या : 5 गोमती नगर में गाँधी सेतु के दक्षिण लखनऊ–बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन तक नदी के बायें तट बन्ध पर निर्मित बन्धे का प्रयोग सड़क के रूप करने, बन्धे पर निर्मित चौकी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने तथा भागीदारी भवन के दोनों ओर के क्षेत्र, जिसका भू–उपयोग महायोजना 2021 में खुला क्षेत्र एवं हरित पट्टी है, के प्रयोग के प्रकरण पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त पूर्व में पारित भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही करने पर सहमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 6 रमाबाई अम्बेडकर मैदान का प्रयोग केवल जनसभाओं एवं राजनैतिक पार्टियों की रैली के लिये ही अनुमन्य करने एवं इस हेतु प्रतिदिन रू0 50,000/– का शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : चर्चा के समय मा0 सदस्यों के सुझाव के दृष्टिगत प्रकरण में पुनर्विचार करने के उद्देश्य से प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 7 हरदोई रोड स्थित बसन्त कुन्ज योजना के सेक्टर ''ए'' की 9.00 हेक्टेअर भूमि का भू–उपयोग ''व्यवसायिक'' से ''आवासीय'' तथा सेक्टर ''आई'' की 9.00 हेक्टेअर भूमि का भू–उपयोग ''आवासीय'' से ''व्यावसायिक'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0–01 गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 एवं सेक्टर–5 के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 एवं सेक्टर–5 के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देशित किया गया कि संशोधित ले–आउट प्लान तैयार कराकर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अनु0वि0सं0–02 लखनऊ महानगर में मेट्रो सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

अनु0वि0सं0–3 लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर विस्तार योजना में बहुमंजिले आवासीय भवनों की योजना।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया, साथ ही साथ भूमि की उपलब्धता में हो रही उत्तरोत्तर कमी तथा कृषि योग्य भूमि को लेकर भू–स्वामियों/कृषकों के प्रतिरोध आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा भविष्य में केवल बहुमंजिलें आवासीय भवनों का ही निर्माण किया जाये।

अनु0वि0सं0–4 अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेटबैक में चौकीदार रुम कम वाचटावर, ट्यूबवेल/बोरवेल, ट्रांसफार्मर, (छोटा सब स्टेशन) अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए तदनुसार भवन उपविधि तैयार कर निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन करने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0–5 श्री प्रमोद कुमार शर्मा की 26, माल एवन्यू, लखनऊ में स्थित दुकान के स्थान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शामे–अवध योजना में आवंटित दुकान का किराया निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्य विषय : 1 बी0एस0यू0पी0 के अधीन निर्माणाधीन भवनों की लागत के सम्बन्ध में।

निर्णय : अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में जे.एन.एन.यू. आर.एम. की बी.एस.यू.पी. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 8896 भवनों के सापेक्ष कुल 5424 भवनों का कार्य प्रगति पर है। यह भी अवगत कराया गया कि इस योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु रू0 1.62 लाख प्रति भवन तथा अवस्थापना के लिए रू0 33 हजार प्रति भवन कुल रू0 1.95 लाख की धनराशि स्वीकृत है, जबकि इन भवनों की निर्माण लागत औसतन रू0 2.19 लाख प्रति भवन एवं भूमि अधिग्रहण पर प्रतिकर व ब्याज जोड़ कर लगभग कुल रू0 8 हजार प्रति भवन आ रही है। यह भी अवगत कराया गया कि इन भवनों के लिए जो स्थल चयनित किया गया था वह सामान्य भूतल से काफी नीचा था, जिसके फलस्वरूप भवनों की निर्माण लागत में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार प्राधिकरण, जिसे सूडा द्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया गया था, पर लगभग रू0 40 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार सम्भावित है, जिसकी मांग शासन से कर ली जावे।

विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि की लागत की मांग हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये तथा योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण को भारत/प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि के साथ–साथ प्राधिकरण के स्वकीय स्रोतों से

अतिरिक्त धनराशि वहन करने तथा इस व्यय की स्वीकृति बोर्ड से न लिए जाने के कारणों एवं परिस्थितियों की गहन जांच कर आख्या आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

जो भवन अभी तक निर्मित नहीं है, वे अवशेष भवन केवल रू0 1.95 लाख की लागत से ही नगर निगम, नजूल, शासकीय भूमि पर ही बनेंगें एवं भूमि न मिलने पर प्राधिकरण की ई0डब्लू0एस0 आवासों हेतु आरक्षित भूमि पर बनाये जायेगें। इस भूमि की लागत की प्रतिपूर्ति प्रति आवास आबंटी के अंशदान से होगी।

अन्य विषय : 2 — दिनांक 30 सितम्बर, 2008 को समाप्त हुए तैमासान्त तक प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की स्थिति पर विचार।

निर्णय : — प्रस्तुत किये गये विवरण पर विचार–विमर्श किया गया तथा प्राधिकरण के वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने, प्रत्येक मदों में बकाया धनराशि की शत–प्रतिशत वसूली करने तथा अनावश्यक व्यय की मदों को चिन्हित कर उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये का निर्णय लिया गया।

13.x.08

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

13/x/08

(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

13/x

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।